राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1458/2023

इमामी एग्रोटेक लिमिटेड (पूर्व में इमामी बायोटेक लिमिटेड), Cin U24233WB2002 Plc094530, पंजीकृत कार्यालय 687, आनंदपुर, ई.एम. बाईपास, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700107 और इसकी इकाई ग्राम चंद्रमूल, तहसील मौजमाबाद, दूदू, जयपुर राजस्थान 303348 को इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राजपाल शर्मा, सहायक महाप्रबंधक-कानूनी के माध्यम से है।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, अपर प्रमुख सचिव, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से
2. संयुक्त नियंत्रक (केंद्रीय सतर्कता) जयपुर, उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान तकनीकी कक्ष) राज्य स्तरीय केंद्रीय सतर्कता दस्ता, राजस्थान सरकार, जिसका कार्यालय होटल स्वागतम बिल्डिंग, जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने, जयपुर में है।
3. निरीक्षक (सतर्कता), जयपुर, उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान तकनीकी कक्ष), राज्य स्तरीय केंद्रीय सतर्कता दस्ता, राजस्थान सरकार, जिसका कार्यालय होटल स्वागतम बिल्डिंग, जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने, जयपुर में है।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री वी.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक कासलीवाल सुश्री सुनीता नाथावत के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री भरत सिंह गुर्जर, डिप्टी.जी.सी. श्री ईश्वर तिवारी

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	01/08/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	10/08/2023

1. इस रिट याचिका में अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:-

"1.1 प्रपत्र ए और पंचनामा और जब्ती ज्ञापन दिनांक 7.6.2023 के साथ आक्षेपित खोज रिपोर्ट को रद्द करें और अलग रखें जिसके तहत अपीलार्थी का माल जब्त/अभिरक्षा में लिया गया है और अपीलार्थी कंपनी को जब्त/अभिरक्षा में लिया गया माल जारी करने और उसकी बिक्री की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है;

1.2 नियंत्रक, लीगल मेट्रोलॉजी को एक सप्ताह के भीतर लंबित अपील पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दें और साथ ही अपीलार्थी कंपनी को विद्वान नियंत्रक के उक्त आदेश से व्यथित होने पर इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दें;

2. और ऐसे आगे और उचित आदेश या निर्देश जो इस माननीय न्यायालय द्वारा न्यायोचित और उचित समझे जाएं, विनम्र अपीलार्थी के पक्ष में भी पारित किए जा सकते हैं।

2. अपीलार्थी कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और खाद्य वनस्पति तेलों, खाद्य वनस्पति वसा आदि के निर्माण, विपणन, बिक्री, निर्यात और वितरण के व्यवसाय का व्यवसाय कर रही है। इसकी एक इकाई जयपुर के पास दूदू में चल रही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान तकनीकी कक्ष) राज्य स्तरीय केंद्रीय सतर्कता दल, राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं। 7.6.2023 को अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रत्यर्थी नं. 2 ने अपनी टीम के साथ दूदू में विनिर्माण परिसर की तलाशी/निरीक्षण किया और सरसों के तेल/कच्ची घानी के 125 पाउच जब्त किए। चार पैकेटों के यादृच्छिक सत्यापन पर, प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी रैपर पर प्रदर्शित तेल की शुद्ध सामग्री के संबंध में परीक्षण में विफल रहा। हालाँकि, अपीलार्थी ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के अनुसार पैकेजों पर अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता को पारित कर दिया।

3. प्रत्येक थैली में यह लिखा था कि इसमें 50^0 सेंटीग्रेड (900 ग्राम) पर 1 लीटर है। प्रत्यर्थीगण के प्राधिकारियों का विचार था कि 50^0 सेंटीग्रेड अनुचित रूप से अधिक था,

इसलिए उन्होंने शुद्ध मात्रा सामग्री का पता लगाने के लिए सामान्य कमरे के तापमान को अपनाया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शुद्ध सामग्री लगभग 976.79 मिलीलीटर थी। इस प्रकार, उपभोक्ता को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर प्रदर्शित की तुलना में कम मात्रा में पैक किया गया था।

4. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 15 और 16 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"15. निरीक्षण, जब्ती, आदि की शक्ति-

(1) निदेशक, नियंत्रक या किसी भी कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है, चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी से या लिखित रूप से या व्यक्तिगत ज्ञान से या अन्यथा, किसी भी वजन या माप या अन्य सामान जिसके संबंध में कोई व्यापार और वाणिज्य हुआ है या होने का इरादा है और जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया प्रतीत होता है, या होने की संभावना है, किसी भी परिसर में या तो रखा जाता है या छुपाया जाता है या परिवहन के क्रम में हैं,-

(क) किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश करेगा और किसी भी वजन, माप या अन्य सामान की खोज और निरीक्षण करेगा जिसके संबंध में व्यापार और वाणिज्य हुआ है, या होने का इरादा है और किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य तत्संबंधी दस्तावेज से संबंधित है;

(ख) किसी भी वजन, माप या अन्य सामान और किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ या लेख को जब्त कर सकता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह संकेत देने वाला साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यापार और वाणिज्य के संबंध में दंडनीय अपराध किया गया है, या होने की संभावना है।

(2) निदेशक, नियंत्रक या कोई भी कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी उप-धारा

(1) में निर्दिष्ट वजन या माप से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज़ या अन्य रिकॉर्ड के प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसे वजन या माप की अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति ऐसी मांग का अनुपालन करें।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त किया गया कोई भी माल शीघ्र या प्राकृतिक क्षय के अधीन है, निदेशक, नियंत्रक या कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी ऐसे माल का निपटान ऐसे तरीके से कर सकते हैं जो निर्धारित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती तलाशी और जब्ती से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

16. ज़ब्ती.-

(1) प्रत्येक गैर-मानक या असत्यापित बाट या माप, और धारा 18 के उल्लंघन में बनाया गया प्रत्येक पैकेज, जो किसी भी व्यापार और वाणिज्य के दौरान या उसके संबंध में उपयोग किया जाता है और धारा 15 के तहत जब्त किया गया है, राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि ऐसे असत्यापित बाट या माप को राज्य सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा, यदि जिस व्यक्ति से ऐसा बाट या माप जब्त किया गया था, उसे निर्धारित समय के भीतर सत्यापित और मुद्रांकित कर दिया जाता है।

(2) धारा 15 के तहत जब्त किए गए लेकिन उप-धारा (1) के तहत जब्त नहीं किए गए प्रत्येक वजन, माप या अन्य सामान का निपटान ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

5. श्री वी.आर. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बाजवा ने विवादित तलाशी और जब्ती को इस आधार पर चुनौती दी कि यह उपरोक्त धारा 15 के आदेश का उल्लंघन करता है और मनमाना है क्योंकि प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास "विश्वास करने का कोई

कारण" होने के लिए कोई सामग्री नहीं थी जैसा कि उपरोक्त धारा 15(1) उल्लिखित है। जब तक अधिकारियों के पास "विश्वास करने के कारण" के संबंध में एक राय बनाने के लिए सामग्री नहीं होगी, तब तक यह मनमानी से ग्रस्त होगा और अधिनियम की धारा 42 के तहत शामिल कष्टप्रद खोज के बराबर होगा। अपीलार्थी ने याचिका में उपरोक्त आधार का दावा किया है, लेकिन प्रत्यर्थीगण ने जवाबी शपथ-पत्र में इससे इनकार नहीं किया है और न ही यह साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश की है कि उनके पास किसी भी व्यक्ति द्वारा उन्हें दी गई और लिखित रूप में ली गई या व्यक्तिगत जानकारी से या अन्यथा निरीक्षण और जब्ती करने के लिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने का कारण था।

जाहिर है, प्रत्यर्थीगण का कार्य पूर्वोक्त कारण के साथ-साथ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्य प्रावधानों के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण मनमानी से ग्रस्त है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने हुए अपीलार्थी को अपने मामले और दावे के समर्थन में सामग्री पेश करने और प्रत्यर्थी अधिकारियों के दिमाग में चल रही अनिश्चितताओं को समझाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जैसा कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अपेक्षित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त धारा 15 की उप-धारा (4) यह निर्धारित करती है कि इस धारा के तहत की गई प्रत्येक तलाशी और जब्ती आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। धारा 100 सीआरपीसी की उपधारा (4) और (5) विचार करता है कि तलाशी उस इलाके के दो या दो से अधिक निष्पक्ष और सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें खोज की जाने वाली जगह स्थित है या किसी अन्य इलाके के, यदि ऐसा कोई स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं है या उस खोज का गवाह बनने को तैयार नहीं है। उपरोक्त प्रावधान अभियोजक द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को पवित्रता प्रदान करने के लिए है। मौजूदा मामले में, उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही इसके गैर-अनुपालन के लिए कोई स्पष्टीकरण है। इसलिए, मौजूदा मामले में की गई तलाशी और जब्ती कानून के आदेशों का पालन न करने से ग्रस्त है और इसकी सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम या नियमों में यह

आवश्यक नहीं है कि खाद्य तेलों को किस तापमान पर पैक किया जाना है। खाद्य तेलों के विभिन्न निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचलित प्रथा पैकेजिंग की तारीख पर किसी विशेष स्थान पर प्रचलित तापमान के आधार पर 30^0 से 50^0 सेंटीग्रेड के बीच के तापमान पर पैकेजिंग करना है। मौजूदा मामले में, पैकेजिंग जून 2023 के पहले सप्ताह में जयपुर के पास दूदू में की गई थी। न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि उक्त समयावधि में तापमान 50^0 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके अलावा, अपीलार्थी के लिखित आवेदन के अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध किसी अन्य निर्माता के रैपर से पता चलेगा कि महाकोश रिफाइंड सोयाबीन तेल 50^0 सेंटीग्रेड पर पैक किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि यह भी एक तथ्य है कि कुछ अन्य निर्माताओं ने 30^0 सेंटीग्रेड पर पैकेजिंग की है। चूंकि, अधिनियम या नियमों के तहत किसी विशेष तापमान पर या तापमान की एक निश्चित भिन्नता पर पैक करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए विसंगतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए एक पत्र दिनांक 20.1.2023 को स्थानीय क्षेत्र के सभी नियंत्रकों को जारी किया था। जो इस प्रकार है:-

I-10/27/2021-W&M

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग

वज़न और माप इकाई

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
तारीखः 20.01.2023

सेवा में,

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषयः बिना तापमान के खाद्य तेल आदि की शुद्ध मात्रा की घोषणा।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 15.7.2022 के पत्र (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने और पुनः यह दोहराने के लिए निर्देशित किया जाता है कि खाद्य तेल आदि के पैकेजों पर तापमान का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता/प्रावधान नहीं है।

2. इसलिए, अनुरोध है कि खाद्य तेल आदि के निर्माताओं/पैकर्स/आयातकों के बीच तापमान का उल्लेख किए बिना वस्तु को पैक करने के लिए जागरूकता पैदा करना जारी रखें और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि पैकेज पर घोषित मात्रा सही है।

3. अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के उद्योगों के अनुरोध पर विचार करते हुए, तापमान का उल्लेख किए बिना खाद्य तेलों आदि की शुद्ध मात्रा घोषित करने की समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

4. एकरूपता के लिए, यह भी सलाह दी जाती है कि नेट सामग्री की जांच के दौरान लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी इन उत्पादों के लिए वजन में शुद्ध मात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में खाद्य तेल की शुद्ध मात्रा आदि की माप के लिए एसओपी शीघ्र ही जारी की जा सकती है।

5. फील्ड अधिकारियों को तदनुसार निर्देश दिया जा सकता है।

भवदीय,

(आशुतोष अग्रवाल)

उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) एवं

प्रभारी निदेशक, विधिक माप विज्ञान

दूरभाष: 91-011-23389489

ई-मेल: dirwm-ca@nic.in/ ashutosh.agarwal13.@nic.in

प्रतिलिपि: उद्योग संघ/उद्योग

8. उपरोक्त पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि खाद्य तेलों के निर्माताओं या पैकर्स के बीच तापमान का उल्लेख किए बिना वस्तुओं को पैक करने के लिए जागरूकता पैदा करना जारी रखें और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि पैकेज पर घोषित मात्रा सही है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थीगण ने जब्त किए गए और अभिरक्षा में लिए गए खाद्य तेलों की पैकेजिंग की तारीख से पहले जारी की गई जागरूकता के रूप में ऐसी कोई भी सलाह रिकॉर्ड में नहीं लाई है, जिससे अपीलार्थी पर आरोप लगाया जा सके कि तथ्य की जानकारी के बावजूद अब से रैपर पर खाद्य तेल का तापमान अंकित नहीं किया जाएगा, मौजूदा मामले में ऐसा किया गया है।

9. प्रत्यर्थीगण ने अपनी कार्रवाई में उपरोक्त विसंगति और त्रुटि का खंडन नहीं किया है, इसलिए, प्रत्यर्थीगण को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि दिनांक 20.1.2023 की सलाह लंबित वस्तुओं के संबंध में थी और नए लॉट के लिए लागू नहीं थी। यह सत्य है कि उक्त पत्र में अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री के लिए 6 माह की समय सीमा तय की गई थी। हालाँकि, चूंकि इस संबंध में एसओपी जारी नहीं की गई थी, इसलिए, यह नहीं

माना जा सकता है कि अपीलार्थी को पैकेजिंग की तारीख पर एसओपी की जानकारी थी। प्रत्यर्थी अधिकारियों ने जब्त किए गए माल की मात्रा का पता लगाने के लिए 27.8^0 सेंटीग्रेड अपनाया है। 27.8^0 सेल्सियस को अपनाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही कोई उचित स्पष्टीकरण है कि खाद्य तेलों की पैकेजिंग के मामले में कमरे के तापमान को कैसे/क्यों अपनाया जाएगा। कानून की आवश्यकता के विपरीत तापमान का एकतरफा माप अपनाते समय अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः इस कारण से भी प्रत्यर्थीगण का कृत्य दूषित हुआ है।

10. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि जब्त किए गए और अभिरक्षा में लिए गए खाद्य तेल खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जिनका जीवनकाल पैकेजिंग की तारीख से 1 वर्ष है और सामान्य व्यवहार में, खुदरा विक्रेता माल को बिक्री के लिए तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि समाप्ति से पहले 7 महीने शेष न रह जाएं और उक्त 7 महीने सितंबर 2023 में शुरू होंगे क्योंकि माल अप्रैल 2024 में समाप्त होना है। अधिनियम की धारा 50 के तहत प्राधिकारी के समक्ष तलाशी और जब्ती के खिलाफ की गई अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और घाटे की स्टांप ड्यूटी रिपोर्ट अपील भरने के 40 दिनों के बाद ही बताई गई है। इसलिए, जब्त किए गए खाद्य तेल को नष्ट होने से बचाने के लिए शिकायत के निवारण के लिए वैधानिक उपाय प्रभावी नहीं है। अधिनियम और नियम उन वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी अनंतिम अभिरक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं और उनके निपटान के वैधानिक प्रावधानों को अभी तक नहीं अपनाया गया है।

11. श्री भरत सिंह गुर्जर, उप.जी.सी. और श्री ईश्वर तिवारी विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण नं. 2 और 3 के लिए तर्क है कि कुछ अन्य निर्माताओं ने अपने खाद्य तेलों को 30^0 डिग्री तापमान पर पैक किया है, इसलिए 50^0 तापमान अपनाने का अपीलार्थी का कार्य खाद्य तेल की मात्रा में असामान्य रूप से वृद्धि करना और आम उपभोक्ताओं धोखा देने के लिए पैकेट में कम मात्रा भरना है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने पहले ही वैधानिक अपील दायर कर दी है, इसलिए, जब मामला अपील में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहले से ही लंबित है, तो इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थीगण ने अपने उत्तर में ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है।

12. वैकल्पिक उपाय की तुलना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित मुद्दे को पहले ही निर्णयों की श्रृंखला में सुलझा लिया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक वैकल्पिक उपाय अपने आप में किसी उचित मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को उसकी शक्तियों से वंचित नहीं करता है। आम तौर पर एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा जब कानून द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है। जब कोई अधिकार किसी क़ानून द्वारा बनाया जाता है जो स्वयं अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपाय या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय लागू करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपाय का सहारा लेना होगा। वैधानिक उपचार की समाप्ति का यह नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है। उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार न करने का विवेकाधिकार है। यह नियम जबरदस्ती का नहीं है। उच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंधों में से एक यह है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। वैकल्पिक उपचार के नियम के अन्य अपवाद वहां उत्पन्न होते हैं; (क) संविधान के भाग-III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है; (ग), आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है; (घ) एक कानून के वायरस को चुनौती दी गई है।

व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार ने (1998) 8 एससीसी 1 में सूचित; राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, (2021) 6 एससीसी 771 और साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप और अन्य का संदर्भ लिया जा सकता है जिन पर सिविल अपील 2023 की संख्या 2861-2862 के तहत 17.4.2023 को निर्णय लिया गया।

13. मौजूदा मामला उपरोक्त शर्त (क) और (ख) के अंतर्गत आता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी ने किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध खंड का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपीलार्थी के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने तलाशी और जब्ती शुरू करने में अधिनियम की धारा 15 के आदेश का उल्लंघन किया है क्योंकि उनके पास यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि खोज और जब्ती आवश्यक है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के एकतरफा

निर्णय को समझाने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया। प्रत्यर्थीगण ने स्थानीय निवासियों के स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसके अभाव में अन्य स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधानों को नहीं अपनाया और न ही कोई कारण बताया कि उनकी उपस्थिति संभव नहीं थी। प्रत्यर्थीगण ने मनमाने ढंग से 27.8 सेंटीग्रेड को यह निष्कर्ष निकालने के पैमाने के रूप में अपनाया है कि खाद्य तेल प्रदर्शित मात्रा से कम मात्रा में थे। उन्होंने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि 50^0 Cपर, तेल की मात्रा वही थी जो रैपर पर प्रदर्शित की गई थी। अधिनियम और नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि खाद्य तेलों को किस तापमान पर पैक किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई मनमानी और कानून के आदेशों के खिलाफ है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। सरकार की दिनांक 20.1.2023 की एडवाइजरी से पता चलता है कि अधिनियम और नियमों में उपरोक्त विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि अब से, किसी भी तापमान का उल्लेख नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलार्थी तापमान का उल्लेख की कार्रवाई करना कानून के आदेश के विरुद्ध और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था।

14. प्रत्यर्थी अधिकारियों ने न केवल तलाशी और जब्ती करने में कानून के जनादेश की अवहेलना की है, बल्कि अपीलार्थी को यह समझाने का कोई अवसर नहीं दिया कि रैपर पर 50^0 Cका उल्लेख क्यों किया गया था और तेल के शुद्ध वजन और मात्रा का पता लगाने के लिए अपनाए गए प्रत्यर्थी अधिकारियों के मनमाने पैमाने यानी 27.8^0 Cको पूरा क्यों किया जाए इसके अलावा, जब्त किए गए तेल को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिनियम और नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में, अपीलार्थी के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रभावी उपाय नहीं है।

15. उपरोक्त परिस्थिति में, संपूर्ण तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में होगा क्योंकि यह कानून की स्पष्ट त्रुटि और कानून के आदेशों के गैर-अनुपालन से ग्रस्त है।

16. प्रत्यर्थीगण को खाद्य तेलों के सभी जब्त और अभिरक्षा में लिए गए पैकेजों को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया जाता है, चार को छोड़कर, जिन्हें एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परीक्षण पर रखा गया था।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह याचिका स्वीकार की जाती है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

BRIJ MOHAN GANDHI/77/604

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।